भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 13

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

सीएसआर प्रकटीकरण ढांचा

***13. श्री संजय काका पाटीलः**

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों की ओर से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत सीएसआर प्रकटीकरण ढांचा शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या अभीष्ट प्रभाव होगा;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कंपनियों के अनुपालन भार में संभावित वृद्धि को कम करने के लिए उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

‘सीएसआर प्रकटीकरण ढांचा’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 13 (13वीं स्थिति) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक आधार पर सीएसआर कार्यकलापों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय की राशि के बारे में अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को भी अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव मूल्यांकन आदि के विवरण ‘सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट’ में सूचित किए जाने की अपेक्षा है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों के साथ संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की वेबसाइट है, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना आवश्यक है। मंत्रालय ने 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के द्वारा एक वेब आधारित प्ररूप सीएसआर -2 प्रारंभ किया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके पश्चात से प्रत्येक सीएसआर पात्र कंपनी द्वारा फ़ाइल किया जाना है। उक्त प्ररूप में कंपनियों को उनके द्वारा प्रारंभ की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने होते हैं। इस प्रकार अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों की वैधानिक लेखापरीक्षा, प्ररूप फ़ाइल करने आदि जैसे मौजूदा विधिक प्रावधानों के साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा किए गए कार्यों की समीक्षा करने और कंपनियों की ओर से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

(ग) और (घ): सरकार कारपोरेटों की ओर से अनुपालन भार को कम करने के लिए लगातार उपाय कर रही है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया था। इन संशोधनों में 22 जनवरी 2021 से अतिरिक्त सीएसआर खर्च के सेट-ऑफ और सीएसआर प्रावधानों का पालन न करने को सिविल दोष के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में भी संशोधन किया गया था जिसने अधिक वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता आदि लाकर सीएसआर इको-सिस्टम को मजबूत किया है। कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, संशोधन कंपनियों को प्रशासनिक ओवरहेड्स पर अपने सीएसआर व्यय का 5% और अन्य 2% या पचास लाख रुपये, जो भी अधिक हो, अपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के लिए खर्च करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, लघु कंपनियों पर सीएसआर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, 50 लाख रुपये से कम सीएसआर दायित्व वाली कंपनियों को सीएसआर समिति के गठन से छूट दी गई है।

****